दूसरी कोशिश में भी लीथियम ब्लॉक के लिए नहीं आई बोली

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में स्थित लीथियम के भंडार का खनन अधिकार लेने के लिए कोई सामने नहीं आया है। इस मामले से सीधे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पिछले साल खोजे गए लीथियम भंडार के लिए दूसरी कोशिश में भी कोई बोली हासिल नहीं हो सकी है।

सरकार को फरवरी 2023 में देश का पहला लीथियम भंडार जम्मू-कश्मीर में मिला था, जिसमें 59 लाख टन लीथियम होने का अनुमान लगाया गया था। नवंबर महीने में जरूरी 3 बोलीदाता सामने न आने के कारण पहली नीलामी नहीं हो सकी। उसके बाद मार्च में में इसे फिर नीलामी के लिए पेश किया गया, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई थी। *रॉयटर्स*

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

PTC India

सीआईएन : L40105DL1999PLC099328

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 066

वेबसाइट : दूरभाष : 011–41659500, 41595100, 46484200, फैक्स : 011–41659144

ई–मेल : info@ptcindia.com, वेबसाइट : www.ptcindia.com

पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संचयी रूप से "अधिनियम") के नियम 20 और 22 के साथ पढ़ें, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक – 2 आदेश और अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लागू कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, के अनुपालन में, पीटीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") 3 जुलाई, 2024 ("पोस्टल बैलेट नोटिस") दिनांकित पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पारित करके अपने सदस्यों से केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ("एमसीए परिपत्र"), उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से दूरस्थ ई–वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया, जिनका ईमेल पता कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरआईए") के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम शुक्रवार, 28 जून, 2024 ("कट–ऑफ तिथि") तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, 3 जुलाई, 2024 को पूरा हो गया है।

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टल बैलट के लिए पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी। कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

(क) सभी सदस्यों के लिए ई–वोटिंग अवधि गुरुवार, 4 जुलाई, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024 (शाम 5:00 बजे आईएटी) को समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हों या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार डाले गए वोट को बाद में बदला नहीं जा सकता है।

(ख) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट–ऑफ यानी शुक्रवार, 28 जून, 2024 को दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(ग) श्री आशीष कपूर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफ8002 और सी.पी. संख्या 7504) को रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

(घ) पोस्टल बैलट/ई–वोटिंग के नतीजे रिमोट ई–वोटिंग के समापन से दो (2) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ नतीजे कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी को स्थायी रूप से पंजीकृत करें :

क) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे सुसंगत विवरणों, फोलियो नंबर के साथ और पैन कार्ड की एक स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए **cs@ptcindia.com** पर विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध फॉर्म आईएसआर–1 / पत्र भेजकर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें।

ख) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पोस्टल बैलट की सूचना देखें। सूचना कंपनी की वेबसाइट (**www.ptcindia.com**), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (**www.bseindia.com** और **www.nseindia.com**) और एनएसडीएल की वेबसाइट (**www.evoting.nsdl.com**) पर भी उपलब्ध है। इस सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहने वाला कोई भी सदस्य हमें **cs@ptcindia.com** पर लिख सकता है। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पोस्टल बैलेट की सूचना में उपलब्ध मतदान के लिये विस्तृत निर्देश सहित विवरण दिए गए हैं।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा सहित इस पोस्टल बैलट से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013 से निर्दिष्ट ईमेल पते : **evoting@nsdl.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पीटीसी इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
(राजीव माहेश्वरी)
कंपनी सचिव
एफसीएस4998

दिनांक : 3 जुलाई, 2024
स्थान : नई दिल्ली

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट–15, 6वाँ तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, आशीर्वाद प्लाजा, निकट प्रज्ञा कॉलेज, बीवर रोड, बिजयनगर–305624

सार्वजनिक नोटिस – अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत] वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रत्याभूत ऋणदाता) के पास बंधक अचल संपत्ति/ओं की बिक्री हेतु नोटिस। एतदद्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ओं), सह–कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) या उनके विधिक उत्तराधिकारी/ओं, प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदारों, सह–कर्जदारों या जमानतियों से बकाया देयों की वसूली के लिए प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति/ओं जिनका आईएसएफसी (प्रत्याभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, की **"जहाँ है जैसी है", "जो है, जहाँ है", "जो भी है"** आधार पर **05.08.2024 (नीलामी तिथि)** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भागीदारी के लिए ईएमडी राशि के साथ मुहरबंद लिफाफे **शाखा/कारपोरेट कार्यालयः शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, आशीर्वाद प्लाजा, निकट प्रज्ञा कॉलेज, बीवर रोड, बिजयनगर–305624 में **03.08.2024 समय अप. 5 तक** या इससे पूर्व आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किए जायेंगे।

ऋण खाता संख्या	कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तारीख राशि तारीख को	कब्जे का प्रकार (सृजनात्मक/भौतिक के तहत)	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (रु.)
LA30CLLONS000005012490 & LA30VLLONS000005059057	श्री/श्रीमती भालू जाट और श्री/श्रीमती टीकम	20.07.2023, रु. 10,88,268.30/– (रुपये दस लाख अठासी हजार दो सौ अड़सठ और तीस पैसा मात्र) दिनांक 17.07.2023 को देय और भुगतान की तारीख तक आगे की ब्याज और अन्य प्रभार	सांकेतिक	रु. 09,42,000/–	रु. 94,200/–
संपत्ति का विवरणः– संपत्ति पट्टा नं. 09, इकलसिन्हा, माप 50 फुट X 36 फुट = 1800 वर्ग फुट या 200 वर्ग गज, तहसील भिनय, जिला अजमेर के समस्त भाग व खंड। सीमाएँः– पूर्वः मांगीलाल पुत्र रामलाल, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः सायरी पत्नी सतवंत, दक्षिणः रोड					
LA30CLLONS000005003842	श्रीमती चंद्र कांता और श्री कैलाश चंद	16.01.2024, रु. 6,51,392.66/– (रुपये छह लाख इक्यावन हजार तीन सौ बानवे और छियासठ पैसा मात्र) दिनांक 17.01.2024 को देय और भुगतान की तारीख तक आगे की ब्याज और अन्य प्रभार	सांकेतिक	रु. 11,33,000/–	रु. 1,13,300/–
संपत्ति का विवरणः– आवासीय संपत्ति प्लॉट पट्टा नं. 3, बही नं. 65, दिनांकित 29.12.2005, नगीना बाजार–भिनय, वार्ड नं. 07, गाँव भिनय, अजमेर, राजस्थान–305622, कुल आवासीय एरियाः 792.37 वर्ग फुट, दुकान का एरियाः 7*11=77 वर्ग फुट, के समस्त भाग व खंड। सीमाएँः– पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः नासिर जुलाहा का मकान, उत्तरः मो. सद्दीक पुत्र उस्मान बिसायती का मकान, दक्षिणः शाहबुद्दीन पुत्र हाजी बसीर मोहम्मद का मकान					
LAP200001611	सुशीला देवी, हेमंत कुमार, सुरेश चंद और पवन कुमार	13.04.2021, रु. 4,83,690.52/– (रुपये चार लाख तिरासी हजार छह सौ नब्बे और बावन पैसा मात्र) दिनांक 30.04.2021 को देय और भुगतान की तारीख तक आगे की ब्याज और अन्य प्रभार	सांकेतिक	रु. 8,52,000/–	रु. 85,200/–
संपत्ति का विवरणः– बादली तहसील भिनय जिला– अजमेर स्थित आवासीय प्लॉट माप 1314.11 वर्ग फुट या 146.01 वर्ग गज। सीमाएँः– पूर्वः सरकारी कॉमन रोड, पश्चिमः रामस्वरूप पुत्र नंदा तेली का मकान और नोहरा, उत्तरः घीसालाल पुत्र धन्नालाल खाटी का मकान, दक्षिणः सरकारी कॉमन रोड और गली					

निबंधन व शर्तेः

1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र और बिक्री के निबंधन व शर्तें शाखा/कॉर्पोरेट कार्यालयः पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट–15, 6वाँ तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, शाखा कार्यालयः प्रथम तल, आशीर्वाद प्लाजा, निकट प्रज्ञा कॉलेज, बीवर रोड, बिजयनगर–305624 में उपलब्ध होंगे।
2) अचल संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर बिक्री नहीं की जायेगी।
3) **उपर्युक्त संपत्ति/ओं की खरीद के लिए सभी निविदा/बोली के साथ उपरोक्तानुसार "इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में धरोहर राशि जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी।**
4) उच्चतम बोलीकार को सफल निविदाकार घोषित किया जायेगा बशर्ते वह बोली करने के लिए विधिक रूप से अर्ह हो और साथ ही बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। उच्चतम बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति प्राधिकृत अधिकारी के विवेक से होगा जबकि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है।
5) संभावी निविदाकार पूर्व समयादेश लेकर संपत्ति का 02.08.2024 समय पूर्वा. 11.00 से अप. 5.00 के बीच निरीक्षण कर सकते हैं।
6) **सफल निविदाकार घोषित होने वाले निविदाकार को घोषणा के तुरंत बाद 24 घंटों के अंदर क्रय धनराशि/उच्चतम बोली की राशि की 25% राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और इस प्रकार जमा में किसी चूक पर संपत्ति नयी नीलामी/निजी ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी।**
7) **उपरोक्तानुसार प्रारंभिक भुगतान होने की अवस्था में क्रय धनराशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से केवल 15 दिन के अंदर खरीदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य कोई अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस में जमा करनी होगी।**
8) उपरोक्त अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक की अवस्था में संपत्ति नयी नीलामी/निजी ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। ईएमडी सहित जमा राशि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा।
9) उपर्युक्त बिक्री आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के तहत होगी। इच्छुक पार्टियों से संपत्ति पर सांविधिक और अन्य देय जैसे बिक्री/संपत्ति कर, बिजली बकाया, और सोसाइटी बकाया संबंधित विभागों/कार्यालयों से जांच/पुष्टि करने का अनुरोध है। संपत्ति पर किसी देय के भुगतान का कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।
10) उच्चतम घोषित बोली राशि का 1% टीडीएस, यदि हो, उच्चतम बोलीकार को भुगतान करना होगा। उच्चतम बोलीकार को भुगतान कंपनी के पैन नंबर में करना होगा और चालान की कॉपी कंपनी को जमा करनी होगी।
11) बिक्री पूरी तरह से इस विज्ञापन और निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंतर्निहित निबंधन व शर्तों के तहत होगी।
12) सफल निविदाकार/खरीदार को सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, और बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत कराने के लिए विधि अनुसार यथालागू प्रासांगिक व्यय स्वयं वहन करने होंगे।
13) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा निविदा को रोकने/स्थगित/निरस्त करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिक्री के निबंधन व शर्तों को भी संशोधित करने का अधिकार होगा।
14) इच्छुक निविदाकार कार्यालयीन अवधि (पूर्वा. 10.00 से अप. 6.00 तक) **श्री दीपक सुथार, मोबा. नं. 9649990190 और श्री विनय राणा, मोबा. नं. 7988605030** पर संपर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनी बिक्री नोटिस

उपरोक्त कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस में यथाउल्लिखित राशि का अद्यतन ब्याज व व्ययों सहित भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, की आपसे ब्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी।

दिनांकः 04.07.2024, स्थानः राजस्थान — **हिते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

जून में सेवा पीएमआई में इजाफा

- नए ऑर्डर और अंतरराष्ट्रीय बिक्री के असर से जून में पीएमआई बढ़कर 60.5 हो गया जबकि मई में यह 60.2 था।
- अगस्त 2022 के बाद सबसे ज्यादा तेज गति से नियुक्तियां

शिवा राजौरा
नई दिल्ली, 3 जुलाई

भारत के सेवा क्षेत्र में जून के दौरान सुधार हुआ। इसके पहले मई में सेवा क्षेत्र पांच महीने के निचले स्तर पर आ गया था। जून में नए ऑर्डर बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में अभूतपूर्व बढ़त से भारत के दबदबे वाले सेवा क्षेत्र में तेजी आई। एक कारोबारी सर्वेक्षण के अनुसार कंपनियों ने बीते दो वर्षों से सबसे तेजी से नई नियुक्तियां कीं।

एचएसबीसी के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 60.5 हो गया जबकि मई में यह 60.2 था। यह सूचकांक 50 से ऊपर होना बढ़त को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों से सेवा क्षेत्र का पीएमआई 50 से ऊपर बना हुआ है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 'जून का आंकड़ा भारत के सेवा क्षेत्र में लगातार बढ़त को दर्शाता है। हालांकि मई में बढ़त की दर पांच माह के निचले स्तर पर थी, लेकिन नए ऑर्डर और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में तेजी से इजाफा होने के कारण जून में विस्तार हुआ। यही नहीं, जून में नियुक्तियों के स्तर में अगस्त 2022 के बाद सबसे तेजी से इजाफा हुआ। नए कार्य आने के कारण अल्पावधि और स्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियों में इजाफा हुआ।'

भारत के सेवा प्रदाताओं के जून के नए ऑर्डर में इजाफा हुआ और यह लगभग तीन वर्षों से चल रही प्रगति को ही दिखाता है। मई की तुलना में जून में वृद्धि की गति अधिक थी और यह दीर्घावधि औसत से भी अधिक थी। एचएसबीसी में भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने बताया कि मुख्य रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले नए ऑर्डर की वजह से सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ। इस बढ़त ने कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा, 'लागत मूल्य में मामूली इजाफा होने से जून में आउटपुट शुल्क में कुछ इजाफा हुआ। सेवा प्रदाताओं का अगले वर्ष को लेकर नजरिया उत्साहपूर्वक रहा। हालांकि इस महीने में आशावाद का स्तर तेजी से सामान्य हुआ। कंपोजिट पीएमआई जून में तेजी से बढ़ा। कंपोजिट पीएमआई को नए ऑर्डरों के बढ़ने से मदद मिली थी। सेवा क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों ने विस्तार में अधिक योगदान दिया।'

सर्वेक्षण के अनुसार एशिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और अमेरिका से नए ऑर्डर में रिकॉर्ड बढ़त हुई और इससे कुल नए कारोबारी ऑर्डर में अच्छा इजाफा हुआ।

60 माह के उच्च स्तर पर शहरी धारणा, ग्रामीण क्षेत्र में सुस्ती

ऐश्ली वर्गीज
नई दिल्ली, 3 जुलाई

जून महीने में शहरी उपभोक्ता धारणा जुलाई 2019 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) का शहरी भारत का उपभोक्ता धारणा सूचकांक जून में 60 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह सूचकांक इसके पिछले यानी मई माह की तुलना में छह फीसदी बढ़ गया और इसने ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया।

इस सूचकांक की गणना सीएमआईई के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर होती है। इसमें परिवारों की स्थितियां, उनकी अपेक्षाएं और उपभोक्ता सामान पर खर्च करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाता है।

हालांकि पूरे भारत के सूचकांक में 0.3 फीसदी की गिरावट आई। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्र का कमजोर होना है। ग्रामीण उपभोक्ता धारणा वित्त वर्ष 25 में अपने सर्वाधिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह मई की तुलना में 3.8 फीसदी कम है। कुल उपभोक्ता धारणा कुछ अधिक है और यह महामारी के पूर्व के स्तर से ऊंची है। हालांकि शहरी उपभोक्ता धारणा सूचकांक अब भी जून 2019 की तुलना में कम है। ग्राणीण सूचकांक में 2019 की तुलना में 3 फीसदी की मामूली बढ़त हुई है। वर्ष 2019 के जून की तुलना में जून 2024 में कुल सूचकांक 2 फीसदी अधिक है।

देश के सभी आय समूहों में उपभोक्ता धारणा में सुधार असमान है। जून 2019 की तुलना में जून 2024 में सालाना 1 लाख रुपये या उससे कम आय वाले सबसे कम आय खंड की धारणा में 0.4 फीसदी की गिरावट आई है। इसी तरह 1 लाख से 2 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों की धारणा में 3.8 फीसदी की गिरावट आई। इस क्रम में 2 लाख से 5लाख रुपये सालाना आय वाले समूह की धारणा में भी 1.2 फीसदी की गिरावट हुई। सिर्फ 5 से 10 लाख रुपये सालाना आय वालों समूह की धारणा में वृद्धि हुई।

एनबीएफसी के उपभोक्ता व गोल्ड लोन में गिरावट

अभिजित लेले
मुंबई, 3 जुलाई

चौथी तिमाही में ऋण में वृद्धि (% में)

सेग्मेंट	सालाना	तिमाही
वाहन ऋण	14.0	-8.9
उपभोक्ता ऋण	13.7	- 16.2
वाणिज्यिक वाहन ऋण	7.0	5.9
गोल्ड लोन	18.2	6.5
व्यक्तिगत ऋण	12.5	1.4

स्रोत – एफआईडीसी–सीआरआईएफ

वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी व कार्रवाइयों का असर नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिया गया उभोक्ता ऋण और गोल्ड लोन वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही की तुलना में कम हुआ है।

फाइनैंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में दिया गया उपभोक्ता ऋण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही की तुलना में 16.2 प्रतिशत कम हुआ है। वहीं इस अवधि के दौरान गोल्ड लोन में 6.5 प्रतिशत गिरावट आई है।

कुल मिलाकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने चौथी तिमाही में 25,358 करोड़ रुपये ऋण दिया है, जो तीसरी तिमाही के 30,269 करोड़ रुपये की तुलना में कम है।

मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में स्वीकृत गोल्ड लोन भी 6.5 प्रतिशत कम हुआ है। कुल मिलाकर चौथी तिमाही में 47,092 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 50,340 करोड़ रुपये कर्ज दिया गया था। व्यक्तिगत ऋण भी सुस्त रहा है और वित्तीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में इसके पहले की तिमाही की तुलना में महज 1.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। उपभोक्ताओं को उधारी देने के कुछ सेक्टरों जैसे शिक्षा ऋण, उपभोक्ता ऋण और गोल्ड लोन में तिमाही आधार पर ऋण में कमी आई है। एफआईडीसी ने एक बयान में कहा है कि संभवतः यह रिजर्व बैंक की ओर से सावधानी बरतने के दिशानिर्देशों के कारण हुआ है।

पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ने असुरक्षित ऋण पर जोखिम अधिभार बढ़ा दिया था, जिससे कि इस तरह के कर्ज दिए जाने की रफ्तार में कमी आ सके। उसके बाद रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनैंस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था, जो गोल्ड लोन कारोबार की बड़ी कंपनी है। रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षण संबंधी मसलों को लेकर आईआईएफएल को नए ऋण जारी न करने के निर्देश दिए थे।

वित्त वर्ष 2025 के परिदृश्य के बारे में एफआईडीसी के चेयरमैन केवी श्रीनिवासन ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि पहली तिमाही हमेशा सुस्त तिमाही रहती है और इसकी पूरे वित्त वर्ष के कारोबार में कम हिस्सेदारी होती है।

स्टॉक सीमा से गेहूं व दाल का दाम मामूली बढ़ा

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 3 जुलाई

केंद्र सरकार ने दाम नियंत्रित व जमाखोरी पर निगरानी करने के लिए चना और काबुली चना के स्टॉक पर 21 जून को सीमा लगाई थी। इसके बाद सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा तय की थी। दालों पर सीमा 30 सितंबर तक लगाई गई है और इसके बाद समीक्षा की जाएगी। हालांकि गेहूं पर मार्च 2025 तक सीमा लगाई गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 21 और 26 जून को लगाई गई स्टॉक सीमा के बाद इन जिंसों के दामों में मामूली इजाफा हुआ है। उदाहण के तौर पर स्टॉक सीमा लगाए जाने के बाद गेहूं के औसत दाम में वृद्धि हुई। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 26 जून (स्टॉक सीमा लगाए जाने तक) तक अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं का थोक मूल्य 1.3 प्रतिशत बढ़ा था। इसके बाद दाम में 0.36 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

हालांकि निजी कारोबारियों के अनुसार कुछ केंद्रों में गेहूं के दाम में वृद्धि हुई है और यह मामूली नहीं है। उन्होंने बताया कि मार्केट में गेहूं की आपूर्ति की अत्यधिक कमी है और अभी भी कुछ बड़े कारोबारियों के पास भंडार है। उनके अनुसार जब तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गेहूं का स्टॉक जारी नहीं करेगा तब तक दाम में अधिक बदलाव नहीं आएगा।

अधिशेष 36 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी जाए

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने सरकार से अनुरोध किया है कि तत्काल 36 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी जाए। दरअसल दिसंबर 2023 में गन्ने के शीरे से एथनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगाए जाने से चीनी का अधिशेष हो गया है। अक्टूबर 2023 तक करीब 56 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था। खपत करीब 285 लाख होने का अनुमान था। लिहाजा 2023 - 24 के सत्र में सितंबर 2024 को 91 लाख टन का अधिक क्लोजिंग स्टॉक रहने की उम्मीद है।

गेहूं के कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और बड़े श्रृंखलाबद्ध रिटेलरों को 26 जून से शुरू हुई तारीख के 30 दिनों के अंदर स्टॉक को तय सीमा में करना है।

कारोबारियों के अनुसार गेहूं के मुकाबले दालों के दाम अधिक गिरे हैं। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम गर्मियों में दाल की मांग कम होती है और इस मौसम में तला हुआ भोजन कम खाया जाता है।

दूसरा, दालों के आयात पर शून्य शुल्क है। तीसरा, आयातकों को दालों की आयातित खेप को 45 दिनों से अधिक रोकने से रोका गया है। लिहाजा उन्हें बाजार में तेजी से दालों का स्टॉक जारी करने को मजबूर किया गया है।

अतिरिक्त नकदी 2 माह के उच्च स्तर पर

अंजलि कुमारी
मुंबई, 3 जुलाई

सरकार के व्यय और सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्व होने के कारण बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी 2 माह के उच्च स्तर 91,225 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। बाजार के डीलरों ने यह जानकारी दी।

चालू वित्त वर्ष में 18 अप्रैल से अब तक नकदी अधिशेष उच्चतम स्तर पर है। प्रामइमरी डीलरशिप में एक डीलर ने कहा, 'सरकार के व्यय और सरकारी प्रतिभूतियों का भुगतान करीब 60,000 करोड़ रुपये रहा है।' उन्होंने कहा कि निकट अवधि के हिसाब से अतिरिक्त नकदी 60,000 से 80,000 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है।

इसी क्रम में 3 माह और 6 माह के ट्रेजरी बिल पर यील्ड 2 आधार अंक गिर गई है। वहीं 365 दिन के ट्रेजरी बिल पर पिछले सप्ताह की तुलना में यील्ड 1 आधार अंक कम हुई है।

बाजार से जुड़े हिस्सेदारों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वैरिएबल रेट रीपो (वीआरआर) और वैरिएबल रेट रिवर्स रीपो (वीआरआरआर) नीलामी जारी रखेगा, जिससे नकदी की स्थिति संतुलन में बनी रहे।

एक बड़े सरकारी बैंक के डीलर ने कहा, 'रिजर्व बैंक वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा क्योंकि वे नहीं चाहते कि मनी मार्केट रेट, रीपो रेट के नीचे बना रहे।' उन्होंने कहा कि माह के दौरान कुछ और ऋण मुक्ति मिल सकती है, इसलिए हम रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं।

28 जुलाई को 60,944 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां परिपक्व होनी हैं। नकदी की स्थिति में सुधार के कारण बुधवार को भारित औसत मनी मार्केट रेट गिरकर 6.35 प्रतिशत हो गया।

रीपो रेट इस समय 6.50 प्रतिशत है। बुधवार को रिजर्व बैंक ने 2 दिन की वीआरआरआर नीलामी की। बैंकों ने 6.49 प्रतिशत भारित औसत दर पर 50,000 करोड़ रुपये अधिसूचित राशि की तुलना में 25,145 करोड़ रुपये जमा किए।

अधिकारियों ने की पूछताछ

श्रम विभाग के अधिकारियों ने दक्षिण भारत स्थित फॉक्सकॉन संयंत्र का दौरा कर कंपनी के अधिकारियों से नियुक्तियों के संबंध में सवाल पूछे। ऐपल को प्रमुख आपूर्ति करने वाली इस कंपनी ने शादी शुदा महिलाओं की नियुक्ति में भेदभाव से इनकार किया है। *रॉयटर्स*

201 नैनो आदर्श गांव बनेंगे

उर्वरक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इफको आगामी खरीफ सत्र में 201 'नैनो आदर्श गांव' विकसित करने के लिए करीब 80 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। यह संभवतः अपनी तरह का पहला प्रयास है।

इफ्को इन मॉडल विलेज या क्लस्टर में किसानों को नैनो उत्पाद जैसे नैनो यूरिया या डीएपी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूत्रों ने बताया कि इस पहल के तहत 21 राज्यों में 201 नैनो आदर्श गांव या क्लस्टर चिह्नित किए गए हैं। *बीएस*

बीएस सूडोकू 5016

9			4		1			
1		7		2	3	6		
				7	6	9		4
5	9		7	1	8	3		6
	6		3			5		7
		4				8		
		3	2	8		4	7	5
	7			3		1		2

परिणाम संख्या 5015

7	9	3	2	5	1	6	4	8
8	5	6	7	4	9	2	3	1
4	1	2	6	8	3	5	9	7
9	7	1	3	2	6	4	8	5
5	6	4	9	1	8	7	2	3
2	3	8	5	7	4	9	1	6
6	4	9	1	3	5	8	7	2
1	8	7	4	6	2	3	5	9
3	2	5	8	9	7	1	6	4

कैसे खेलें ?
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।